अध्याय XIII: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

13.1 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली पर ₹20.21 करोड़ का निष्फल व्यय

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक मै. क्लाइन टैक्नीकल कंसल्टिंग, यूएसए के नामांकन (फरवरी 2008) के आधार पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए अनुबंध किया। सुरक्षा व्यवस्था के चार प्रमुख उपकरण जो कि ₹1.91 करोड़ मूल्य के थे को ठेकेदार द्वारा वितरित नहीं किए गए; के बिना तथा दिसम्बर 2010 में स्थापित किये गये। सीईएल द्वारा क्लोजर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और परियोजना छह वर्ष बीत जाने के बाद भी गैर-कार्यशील रही, परिणास्वरूप, ₹20.21 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय[1] की चर्चा करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अपने दिशा निर्देशों (जुलाई 2007) में कहा कि निविदाकरण प्रक्रिया या सार्वजनिक नीलामी किसी सरकारी एजेंसी द्वारा ठेका सौंपने की एक आधारभूत आवश्यकता है, किसी अन्य पद्धति के रूप में, विशेषत: नामांकन आधार पर ठेका सौंपना संविधान की अनुच्छेद 14; समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा जो सभी रूची रखने वाली पार्टियों की समानता पर लागू होता है। यद्यपि, गैर मामूली और अपवादात्मक मामलों में, प्राकृतिक आपदाओं तथा सरकार द्वारा घोषित आपात कालीन स्थिति के दौरान; जहां केवल एक स्त्रोत से खरीद संभव है; जहां आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के पास माल या सेवाओं के संबंध में विशेष अधिकार है और कोई तर्कपूर्ण विकल्प या दूसरा पर्याय मौजूद नहीं है, जहां विभिन्न तिथियों पर नीमाली की गई थी परंतु कोई बोलीदाता नहीं था या प्रस्तुत बोलियां बहुत कम थी आदि, में यह नियम अलग हो सकता है और ऐसे ठेकेदारों को निजी मध्यस्थता द्वारा ठेके सौंपे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीवीसी के उपरोक्त दिशा-निर्देश यह दर्शाते हैं कि स्थिति की अनिवार्यता की अपेक्षा बोर्ड केवल कार्योत्तर मंजूरी नामांकन आधार पर अनुबन्ध सौंपने के लिए काफी नहीं थी।

---

[1] *नगर निगम, मेरठ बनाम ए1 फहीन मीटर एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड 2006 की एसएलपी (सिविल) सं. 10174 से प्राप्त*

केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) (मार्च 2007) द्वारा भारत में आंतकवादी खतरों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक उपयोग के अपनाने और अधिग्रहण के रूप में सुरक्षा व्यवस्था परियोजना के लिए भारत सरकार को टैक्नोलोजी डेवेलेपमेन्ट बोर्ड (टीडीबी)[1] ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जनवरी 2008 में, टीडीबी ने ₹24 करोड़ रूपये परियोजना के लिए स्वीकृत किये। सीईएल एक विक्रेता अर्थात केटीसी (केलाईन टैक्नीकल कंसल्टिंग) यूएसए के लिए सीवीसी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नामांकन के आधार पर अनुबंध सौंपे गये (फरवरी 2008)। इस विक्रेता को पांच फर्मों में से सूचीबद्ध किया गया था जिसने परियोजना पर सीईएल में एक प्रस्तुतिकरण किया था। बिना नामांकन के किये जाने के आधार पर सीईएल को अनुबन्ध सौंपे गये यद्यपि कई कंपनियाँ उपलब्ध थी जैसाकि पांच फर्मों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण से स्पष्ट होता है।

शुरू में परियोजना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संस्थापित करने के लिए थी, हालांकि बाद में इसका स्थान ''समझौता एक्प्रेस'' के यात्रियों की तलाशी के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 (पहले प्लेटफॉर्म सं. 18) में बदल दिया गया था। भुगतान की शर्तों के अनुसार, मै. केटीसी ₹21.75 करोड़ (जिसमें ₹11.01 करोड़[2] सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति और ₹10.74 करोड़ प्रौद्योगिकी लागत, इंजीनियरिंग समर्थन, प्रशिक्षण और लाइसेंस के लिए थे) की राशि का भुगतान किया जाना था। परियोजना को टीडीबी की सहायता से मंजूरी की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था। मै. केटीसी उपकरणों की आपूर्ति से संबंधित काम (मई 2008) का उप-ठेका (सीईएल के अनुमोदन के साथ) एक और एजेंसी अर्थात् मै. इंसपैक टैक्नॉलाजी सिस्टम (आईटीएस), यूएसए को दे दिया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि ₹3.86 करोड़ मूल्य की 11 महत्वपूर्ण मदों की आपूर्ति के लिए मै. केटीसी ने एक खरीद आदेश (पीओ) दिया (मार्च 2010)। परन्तु केटीसी ने इन मदों के प्रति ₹3.61 करोड़ मूल्य का एक चालान प्रस्तुत किया (सितम्बर 2010)। यद्यपि, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर दिल्ली (लैटर ऑफ क्रेडिट जारी करने वाला बैंक) जिसने माल की सुपुर्दगी के लिए लैटर ऑफ क्रेडिट में विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की ने सीईएल (नवम्बर 2010) को सूचित किया कि मै. केटीसी ने उपकरण के विवरण जैसे एटाखे बिल, उत्पादक देश प्रमाण पत्र, बीमा पॉलीसी आदि जैसे वास्तविक सुपुर्दगी जरूरी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये

---

[1] *स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए और वाणिज्यिकरन के लिए तथा बेहतर उपयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी का अपनाने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के अंतर्गत भारत सरकार ने सितम्बर 1996 में टीडीबी को गठित किया।*

[2] *1 यूएसडी = ₹ 45 (दिनांक 8 अगस्त 2008 के पीओ सं. 33512 के अनुसार यूएसडी 24,46,666 = ₹11.01 करोड़)*

थे। यद्यपि, सीइएल ने महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की और मै. केटीसी को ₹3.26 करोड़ के भुगतान जारी कर दिये। इस भुगातन में ₹1.91 करोड़ मूल्य के चार[1] मद शामिल थे जिन्हें सीधा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रत्यक्ष रूप से सुपुर्द किया जाना था। यद्यपि, सीईएल ने पाया (सितम्बर 2011) कि ₹1.91 करोड़ मूल्य वाले चार मद न तो साईट पर उपलब्ध थे न ही यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रमाण थे कि ये चार उपकरण पूरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मै. केटीसी द्वारा वास्तविक रूप से सुपुर्द किये गये थे। प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा प्रणाली परियोजना ₹1.91 करोड़ मूल्य के चार मुख्य उपकरण जैसे फोरंसिक निरीक्षण पद्धति, हाई वोल्यूम पार्टल, एमएम डब्ल्यू डिटैक्टर और एम एच वंडस (मैटल और गामा) की उपलब्धता बिना ही दिसम्बर 2010 में स्थापित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹76.72 लाख का भुगतान भारतीय स्त्रोतों से आपूर्त किये गये मदों के लिए किया गया था जिनकी वारंटी नहीं थी, विदेशी मुद्रा में इन भुगतानों को करने के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्रासंगिक रूप से, टीडीबी (नवम्बर 2016) के प्रस्तुतिकरण के लिए परियोजना हेतु सीईएल द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह भी अवलोकन किया कि नवंबर 2011 के बाद संस्थापित उपकरण का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके कारण कई उपकरण कार्य नहीं कर रहे थे। यद्यपि, कई उपकरण साईट पर उपलब्ध नहीं थे और चुराये गये बताये गये, सीईएल ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और जुलाई 2012 के बाद बीमा पॉलीसी का नवीकरण नहीं कराया गया। इस परियोजना में, सीईएल ने मार्च 2015 तक ₹20.21 करोड़ का कुल व्यय किया। इसके अतिरिक्त, सीइएल ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निगरानी पद्धति के नवीकरण सीमित पुनर्द्धार के लिए ₹0.60 करोड़ के कार्य आदेश किये (मार्च 2016)। यद्यपि, प्रणाली को कार्यान्वयन के छ: वर्षों से अधिक के बाद भी रेलवे को नहीं सौंपा गया था क्योंकि यह खराब है और इसके कारण ₹20.21 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

सीईएल ने विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों की अनदेखी की और ठेका सौंपने की नियंत्रण प्रणाली स्थापित की और इसके कार्यान्वयन में, जहां सीवीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए न केवल नामांकन आधार पर मै. केटीसी को निविदा सौंपी गई, बल्कि इसने उपकरण; जिसकी सुपुर्दगी नहीं की गई थी; के लिए ₹1.91 करोड़ कम मूल्य का भी भुगतान किया, और चुराये गये उपकरण की एफआईआर फाईल नहीं की गई थी।

---

[1] ***फोरंसिक निरीक्षण प्रणाली, उच्च वोल्यूम पोर्टल, एमएम डब्ल्यू डिटैक्टर और एचएच वंडस (मैटल और हाई गामा)***

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2017) कि निदेशक मंडल (बीओडी) ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) और केटीसी के साथ समझौते को अनुमोदित किया (फरवरी 2008), इसलिए पहले ही आवश्यक अनुमोदन ले लिया गया था और कोई कार्योत्तर मंजूरी आवश्यक नहीं थी। मै. केटीसी ने लैटर आफ क्रेडिट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे और बैंक द्वारा इस त्रुटि को इंगित किया गया था, जिसे उस वक्त के परियोजना प्रभारी की सिफारिशों पर छोड़ दिया गया था। इस मामले में, विभागीय जांच में आरोपों को साबित किया और परियोजना प्रभारी के बकाया भी रोक लिये गये थे (अक्तूबर 2016)। मै. केटीसी विभिन्न सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही। इसमें भी सीवीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया था और सीईएल ने ₹2.39 करोड़ रोके जो मै. केटीसी से (वसूली के लिए काफी थे)।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीईएल ने सीवीसी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में प्रतियोगात्मक बोली के लिए खुली निविदा आमंत्रित नहीं की। इसके अतिरिक्त, प्रंबधन ने स्वीकार किया कि कोई दस्तोवेज प्रमाण यह स्पष्ट करने के लिए उपलब्ध नहीं थे कि मै. केटीसी द्वारा चार उपकरण वास्तविक रूप से आपूर्त किये थे। यद्यपि प्रबंधन ने अपने बकाया रोक कर परियोजना प्रभारी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की, परियोजना कार्यान्वित नहीं थी और कार्यान्वयन के छः वर्षों के बाद भी रेलवे को अभी तक नहीं सौंपा (जनवरी 2017) गई थी। इसके कारण न केवल ₹1.91 करोड़ की धोखाधड़ी के भुगतान सहित ₹20.21 करोड़ की राशि निष्फल हुई अपितु यह आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रौद्योगिकी उपयोग के बताये गये उद्देश्य को पूरा करने में भी विफल रही।

दिसम्बर 2016 में मंत्रालय को मामले की सूचना दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।